

**(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित)
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**

जी. संख्या -230

नई दिल्ली, 13 सितंबर 2010

शुद्धिपत्र

(सितंबर, 2010 के 3 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन से संबंधित मामला सं. टीएएमपी/11/2009-सीओपीटी में 23 फरवरी 2010 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश और (संशोधित) दरमान राजपत्र सं. 82 द्वारा 7 अप्रैल 2010 को भारत का राजपत्र (भाग-III, खंड-4) में अधिसूचित किए गए थे।

2. यह देखा गया है कि 7 अप्रैल 2010 को अधिसूचित समेकित दरमान में कुछ टाइपलेखन त्रुटियां हुई हैं। दरमान में किए जाने वाले शोधन नीचे दिए गए हैं:-

- (i). अध्याय-I के अधीन अनुसूची 1.2 - सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन टिप्पणी संख्या (vii) हटाई जाए और अनुवर्ती मदों को पुनः क्रम संख्या दी जाए।
- (ii). अध्याय II - पोत संबंधित प्रभार में 2.2.3 - स्थानांतरण प्रभारों की अनुसूची के अधीन 2.2.3 (i) नौचालन पोतों/बार्जों का स्थानांतरण शुल्क के अधीन टिप्पणी सं. 5 रूप में निम्नलिखित शर्त शामिल करें:-

“5. यदि पोत कोचीन ऑयल टर्मिनल (सीओटी) की ओर जाता है अथवा पत्तन के किसी अन्य बर्थ की ओर जाता है और वहां से यह नौचालन प्रारंभ करता है तो इसे नया प्रवेश/निकासी माना जाना चाहिए और सीओपीटी के मौजूदा दरमान के अनुसार पाइलटेज वसूल किया जाएगा”।

- (iii). अध्याय II - पोत संबंधित प्रभार के अधीन 2.2.3. अन्य पोतों/फ्लोटिंग क्रॉफ्टों/बॉडियों के लिए बर्थ किराया प्रभारों की अनुसूची निम्नवत् पढ़ा जाए:-

क्र.सं.	वर्गीकरण	दरमान में निर्धारित	
		दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका भाग	
		तटीय पोत (रु० में)	विदेशगामी पोत (अ०डा० में)
1.	उर्वरक बर्थ - क्यू 10 और नया बीटीपी बर्थ	0.2574	0.00962

- (iv). अध्याय II - पोत संबंधित प्रभार के अधीन 2.2.3. अन्य पोतों/फ्लोटिंग क्रॉफ्टों/बॉडियों के लिए बर्थ किराया प्रभारों की अनुसूची के अधीन क्र. सं. 4 (iii) निम्नवत् पढ़ा जाए:-

4.	कोई अन्य पोत	नौचालन पोत/आनंदमयी नाव		मछली पकड़ने वाले पोत और ट्रॉलर	
	(iii). आनंदमयी नावें: फोर्ट कोचीन घाट अथवा अपने स्वयं के मूरिंग के अधीन स्ट्रीम में पाथेमरी लंगरगाह अभिग्रहीत करने के लिए।	11.37	0.4394	-	-

- (v). अध्याय III - कार्गो संबंधित प्रभार के अधीन 3.2.3 - लाइसेंस आधार पर विशिष्ट अंतरण क्षेत्रों में कार्गो के भंडारण के लिए प्रभार निम्नवत् पढ़ा जाए:-

विवरण	रु० प्रति वर्ग मी० प्रति सप्ताह अथवा उसका भाग आबंटन की तारीख से	
	ढका हुआ भंडारण	खुला भंडारण
4 सप्ताह तक	12.50	10.00
5वें - 8वें सप्ताह	18.75	15.00
9वें सप्ताह से आगे	25.00	20.00

(रानी जाधव)
अध्यक्षा